


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.05.2019 द्वारा श्री विनोद कुमार व्याख्याता—संस्कृत राजमावि केसरीसिंहपुरा, बांदीकुई, दौसा की सेवाएँ दिनांक 03.04.2019 से समाप्त की गई थी।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इनका नाम विनोद कुमार के रथान पर विनोद कुमार शर्मा पढ़ा जावें। शेष शर्तें मूल आदेश अनुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/सेवासमाप्ति/2018/1/28 दिनांक : 11/11/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, दौसा को भेजकर लेख है कि श्री विनोद कुमार शर्मा का नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित कराने कि कार्यवाही करावें।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, बांदीकुई, दौसा।
6. प्रधानाचार्य, राजमावि केसरीसिंहपुरा, बांदीकुई, दौसा।
7. संबंधित आश्रित, द्वारा संस्था प्रधान राजमावि केसरीसिंहपुरा, बांदीकुई, दौसा।
8. अनुभाग अधिकारी—वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग को सूचनार्थ।
9. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर